फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - थाना कमालगंज

दिनांक – 17.04.2026

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 104/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस(चोरी) में प्रकाश मे आये अभियुक्त को चोरी हुयी एक मोटर साइकिल के साथ किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन,कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 104/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस में प्रकाश में आये अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र जय सिंह निवासी नगरिया देवधरापुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ को मुकदमा उपरोक्त से चोरी हुयी मोटरसाईकिल **UP 76 X 7483** के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. धर्मेन्द्र पुत्र जय सिंह निवासी नगरिया देवधरापुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ।

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 16.04.2026 को वादी श्री देवेन्द्र राजपूत पुत्र कप्तान सिंह निवासी ग्राम फतेहउल्लापुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ के प्रार्थना पत्र बावत् अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की बाइक सुपर स्प्लेण्डर सं0 UP76 X7483 को चुरा लेने के सम्बन्ध मे प्राप्त हुआ था। वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 104/2026 धारा 303(2)बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में मुखबिर की सूचना पर प्रकाश में आये अभियुक्त धर्मेन्द्र उपरोक्त को चोरी हुयी मोटरसाईकिल UP 76 X 7483 के साथ गिरफ्तार किया गया तथा धारा 317(2)बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल मे लाई जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त से पूछताछ में जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि मैने यह मोटर साइकिल 28.03.2026 को गांव नौगवाँ मे शिव जी के मन्दिर पर हो रहे भण्डारे के बाहर से शाम के समय चोरी की थी। आज मैं इस मोटर साइकिल को लेकर कानपुर बेचने ले जा रहा था, तो पुलिस ने पकड़ लिया। साहब मुझसे गलती हो गयी मुझे मांफ कर दो।

अभियुक्त धर्मेन्द्र के कब्जे से बरामदगी का विवरण-

01.मोटरसाईकिल UP 76 X 7483 सुपर स्पलेण्डर

अभियुक्त धर्मेन्द्र उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

01.मु0अ0सं0 104/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ।

02.मु0अ0सं0 331/2009 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ।

03.मु0अ0सं0 443/2017 धारा 354/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ

गिरफ्तार करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम:-

01. उ0नि0 श्री भूकेन्द्र कुमार
02. का0 हिमान्शू
03. का0 तेजवीर सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़।